न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ (राज.)

अनवान सोहनलाल बनाम कमलेश रानी आदि

अपील अन्तर्गत 225 आरटीएक्ट क्रमांक 235/2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
12.09.2023	पत्रावली स्थगन प्रार्थना–पत्र पर आदेश हेतु पेश हुई। प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। विद्वान अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गइ। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि चक 29 जेआरके की भूमि अपीलाण्ट के नाम से दर्ज है एवं यह भूमि अपीलाण्ट की स्वअर्जित भूमि है, जिसपर अपीलण्ट का अधिकार है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 वा 2 को किसी तरह से कोई भी हिस्सा अथवा बंटवारा करवाने का कानूनी रूप से कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायलाय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2023 के द्वारा अपीलाण्ट के नाम से दर्ज कृषि भूमि में रेस्पोडेण्ट सं0 1 वा 2 के हिस्से तक रहन बैय हस्तांतरण ना करने तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का अंतरिम आदेश दिया है। जिससे अपीलाण्ट के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। स्थगन आदेश के बाद रजिस्टर्ड डाक से तलबी नहीं करवाई गई। अपीलाण्ट रिकार्डेड खातेदार है लेकिन उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। प्रश्नगत आदेश एकपक्षीय है जिसका एक माह में निस्तारण करना चाहिय था जो नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की फर्द अहकाम में तलबी का विवरण नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने डीएनजे 2015 पेज 145 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया। विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2023 से स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट/ग्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 212 आरटीएक्ट का	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना–पत्र पेश किया है जिस पर विद्वान परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनते हुए अस्थाई अंतरिम आदेश इस आशय का जारी किया गया है कि प्रश्नगत 0.9060 है0 नहरी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता में अप्रार्थी सं0 1 का 7/8 हिस्सा कृषि भूमि में प्रार्थीगण के हक व हिस्से तक रहन, बैय, हस्तांतरण न करे तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे अप्रार्थीगण को नाटिस जारी हो। आगामी पेशी पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं सामान्य नोटिस प्रस्तुत नहीं करने तथा प्रार्थी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। आदेश 39 नियम 3 की पालना सुनिश्चत हो। इस बाबत कोई उज्र एतराज हो तो अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश करे कि क्यों न प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अस्थाई व्यादेश ताफैसला ववाद कन्फर्म कर दिया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय में दो पेशियां दी गई हैं। आदेशानुसार प्रकरण में यह उल्लेख नहीं है कि रजिस्टर्ड सम्मन जारी हुए अथवा नहीं। स्थगन आदेश दिनांक 01.02.2023 को जारी हुआ है। उक्त आदेश में आदिनांक 7 माह से अधिक का समय होने के बादीगी आदेश को अंतिम नहीं किया गया है। विधि अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण 2 माह में किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अपीलाण्ट के पास अपने एतराज प्रस्तुत करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में अवसर उपलब्ध है। उसे अपने एतराजात अधीनस्थ न्यायालय में करने चाहिए थे। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2023 के विरूद्ध अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है जो कि एक अंतरिम आदेश है, जिसके विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की निगरानी सं0 3703/2023 अनवान करनैल सिंह बनाम जगदीश सिंह में पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अंतरिम आदेश की अपील पोषणीय नहीं है।

अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के आलौक में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है लेकिन

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण का निस्तारण एक माह की अवधि में करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट की अपील एडमिशन के स्तर पर ही खारिज की जाती है। प्रकरण परीक्षण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की विधिवत सुनवाई करते हुए उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पर एक माह के अन्दर अपना विधि सम्मत निर्णय पारित करे तब तक परीक्षण न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.02.2023 यथावत रहेगा। यदि एक माह के अन्दर निर्णय नहीं किया जाता है तो परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2023 की पालना स्वतः ही स्थगित मानी जावेगी। पक्षकारान परीक्षण न्यायालय में दिनांक 15.09.2023 को उपस्थित हों। परीक्षण न्यायालय उक्त दिनांक से आगामी एक माह में अपना निर्णय पारित करेगा। निर्णय की प्रति पालनार्थ अधीनस्थ न्यायालय को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जावे।

पत्रावली दर्ज कर निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.9.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.9.2023

(अशोक कुमार अरोड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner